

पटना उच्च न्यायालय के न्याय अधिकार में
2016 के दीवानी रिट न्यायाधिकार मामला सं. 15361
में
2018 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1396

=====

जगन्नाथ प्रसाद, पुत्र राधा मोहन लाल, निवासी शिवाजी पथ, गोला रोड, पश्चिमी बेली रोड,
पी. ओ.-दानापुर कैंट, थाना-रूपसपुर, जिला-पटना।

..... याचिकाकर्ता-अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. भारतीय स्टेट बैंक अपने मुख्य महाप्रबंधक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, पश्चिमी गांधी मैदान, डाकघर सं. 103, पटना-80001 के माध्यम से।
2. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, पश्चिमी गांधी मैदान, डाकघर सं.103, पटना-80001।
3. उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना।
4. सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मानव संसाधन विभाग, स्थानीय मुख्य कार्यालय, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना-80001।
5. मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मीठापुर शाखा, पटना-800001।

..... उत्तरदाता-उत्तरदाताओं

=====

पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट --- खंड १० --- भारत का संविधान --- अनुच्छेद १४ --- एसबीआई कोडित परिपत्र टर्मिनल लाभों के निपटान पर निर्देश --- अपीलकर्ता, प्रतिवादी-बैंक के एक बर्खास्त / अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा प्रतिवादी-बैंक के खिलाफ ब्याज के दावे से संबंधित विवाद, जिसे विलंबित भुगतानों के संबंध में अतिदेय बताया गया है और एक दशक से अधिक समय से भुगतान नहीं किया गया था --- रिट कोर्ट ने

अपीलकर्ता के दावे को आंशिक रूप से स्वीकार किया लेकिन अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया गया - इसलिए वर्तमान अपील ---- दलील है कि रिट कोर्ट ने अपीलकर्ता की ओर से सहभागी लापरवाही मानने में गलती की और बैंक परिपत्र के उल्लंघन में अपीलकर्ता को देय ब्याज की मात्रा निर्धारित करने में भी गलती की।

आयोजित किया: बैंक अपने स्वयं के परिपत्रों और दिशानिर्देशों से बंधा हुआ है, जिन्हें बैंक स्वयं लागू होने का दावा करता है - बैंक के अपने परिपत्र के अनुसार, यह बैंक का दायित्व था कि वह दंड के समय अपीलकर्ता को देय भुगतानों से संबंधित विवरण एकत्र करता --- जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना है, अपीलकर्ता की ओर से कोई सहभागी लापरवाही नहीं है, चूंकि, अपीलकर्ता एक दंडित कर्मचारी की स्थिति का था, जिसके लाभ के लिए परिपत्र अस्तित्व में हैं --- बैंक को अपना अभ्यास करना चाहिए था और ऐसा करने में विफल होने पर, यह अपीलकर्ता को ब्याज से इनकार नहीं कर सकता है जो उसके अपने परिपत्र के अनुसार दरों पर स्वीकार्य है --- अपीलकर्ता को उसके दंड आदेश की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक बैंक परिपत्र के अनुसार ब्याज दर के साथ उसके भुगतानों का हकदार माना गया, किसी भी बकाया के समायोजन के अधीन --- अपील स्वीकार की गई। (कंडिका 22, 23, 26, 28)

पटना उच्च न्यायालय के न्याय अधिकार में
2016 के दीवानी रिट न्यायाधिकार मामला सं. 15361
में
2018 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1396

=====

जगन्नाथ प्रसाद, पुत्र राधा मोहन लाल, निवासी शिवाजी पथ, गोला रोड, पश्चिमी बेली रोड,
 पी. ओ.-दानापुर कैंट, थाना-रूपसपुर, जिला-पटना।

..... याचिकाकर्ता-अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. भारतीय स्टेट बैंक अपने मुख्य महाप्रबंधक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, पश्चिमी गांधी मैदान, डाकघर सं. 103, पटना-80001 के माध्यम से।
2. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, पश्चिमी गांधी मैदान, डाकघर सं.103, पटना-80001।
3. उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना।
4. सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मानव संसाधन विभाग, स्थानीय मुख्य कार्यालय, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना-80001।
5. मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मीठापुर शाखा, पटना-800001।

..... उत्तरदाता-उत्तरदाताओं

=====

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री आदित्य नारायण सिंह, अधिवक्ता
		श्री कुंदन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी/ओं के लिए	:	श्री एस. डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री अंजनी कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायाधीश श्रीमति अंजना मिश्रा

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख:01-03-2019

अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री आदित्य नारायण सिंह और भारतीय स्टेट बैंक के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. डी. संजय को सुना।

2. अपीलार्थी ने सूद के दावे जो विलंबित थे एवं एक दशक से अधिक अवधि में भुगतान नहीं किया गया था के संबंध यह अपील प्रतिवादी-बैंक के खिलाफ उदभूत किया है, । इस पृष्ठभूमि में है कि अपीलार्थी ने 2016 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला 15361 दायर किया जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई है लेकिन अपीलार्थी द्वारा निर्धारित पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया गया है।

3. अनावश्यक विवरणों को हटाते हुए, तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ वित्तीय लेन-देन की अनियमितता पर कुछ आरोपों के कारण, उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया, जिसके वास्ते अनुशासनात्मक पूछताछ किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दंडनीय आदेश दिनांक 27 दिसंबर, 2005 के कारण हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में इसे चुनौती दी थी जिसकी अनुमति दी गई थी। बैंक ने अपील की और खंडपीठ ने 2 दिसंबर, 2010 को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया। नतीजतन, अपीलार्थी के खिलाफ सजा के आदेश को बरकरार रखा गया। अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका में उक्त निर्णय को चुनौती दी।

4. इस बीच, प्रत्यर्थी-बैंक का रुख यह है कि उसने 9 मार्च, 2011 को एक पत्र भेजा था, जिसकी सामग्री यहाँ नीचे दी गई है:-

भारतीय स्टेट बैंक

मीठापुर शाखा पटना-800001

(संहिता सं.-1511) टेल-0612-

2210197

श्री जगन्नाथ प्रसाद,

पुत्र- स्वर्गीय राधा मोहन लाल

गोला रोड, पश्चिमी बेली रोड,

डाकघर-दानापुर, पटना-14।

पत्र सं. बीएम/217

तारीख: 09/03/2011.

प्रिय महोदय,

2009 की एल.पी.ए. सं. 976 जो बैंकद्वारा 2007 की सी डब्लू जे सी सं. 5070 केपारित आदेश एवं निर्णय के खिलाफ था।एस. बी. आई. बनाम जगन्नाथ प्रसाद, जे. एम. जी. एस.-1में आखिरी बकाया के भुगतान का प्रस्ताव

स्थानीय मुख्य ऑफिस सं. पी. पी. जी./भी. जे./1236 दिनांक 26.02.2011 एवं पी. पी. जी./भी. जे./1280 दिनांकित 07/03/2011 के संदर्भ में एवं आपसे हुई टेलीफोन पर 05.03.2011 एवं 08.03.2011 को हुई वार्तालाप द्वारा भी आपसे अनुरोध है कि आखिरी बकाया के भुगतान का प्रस्ताव तुरंत समर्पित करें। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश को पालन करने हेतु प्रस्ताव को समर्पित करना आवश्यक है। अतः प्रस्ताव के साथ तुरंत अपने आप को पेश करें।

आपका विश्वासी

ह/०-

शाखा प्रबंधक

सहायक महाप्रबंधक (एच. आर.), भारतीय स्टेट बैंक का स्थानीय मुख्य पदाधिकारी, 8 वीं मंजिल, पटना को सूचनार्थ एक प्रति।

आपका विश्वासी,

ह/०-

शाखा प्रबंधक

5. अपीलार्थी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका 8 अप्रैल, 2011 को खारिज कर दी गई थी। अपीलार्थी ने ऊपर निकाले गए पत्र की प्राप्ति से इनकार कर दिया है।

6. अपीलार्थी को अपने बकाया का भुगतान नहीं किया गया था और प्रत्यर्थी-बैंक का मामला यह है कि अपीलार्थी ने उन औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया जिन्हें उसे 9 मार्च, 2011 के पत्र के संदर्भ में ऐसा करने के लिए कहा गया था और यह भी कि इस तथ्य का कि अपीलार्थी के खिलाफ उसके द्वारा लिए गए ऋण के कारण बकाया था।

7. इसके बाद बैंक ने 17 नवंबर, 2014 को एक नोटिस जारी किया। तैयार संदर्भ के लिए इसे नीचे निकाला गया है:-.

भारतीय स्टेट बैंक

मीठापुर शाखा पटना-800001

(संहिता सं.-1511) दूरभाष-0612-2210197

अप०/वि०/286

दिनांक 17/11/2014

श्री जगन्नाथ प्रसाद,

गोला रोड पेट्रोल पंप के पीछे की ओर

आईसीआईसीआई लोमाबार्ड ऑफिस बिल्डिंग

वेस्ट ऑफ कैनाल, न्यू बेली रोड,

पटना-801503

प्रिय महोदय,

एन. पी. ए. ए/सी.

ए/सी नं। 10951748530 31/10/2014-र 290828-80 पी पर बकाया है।

ए/सी नं। 10951980345 31/10/2014-र 53973.45/-45 पी पर बकाया है।

सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार आपको बैंक की सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त/हटा दिया गया है। ऊपर की तरह बैंक की सेवा में रहना बंद करने पर, आप बैंक पेंशन/ग्रेच्युटी/भविष्य निधि/और अप्रयुक्त अवकाश के लिए वेतन को भुनाने के हकदार हैं, बशर्ते कि बैंक को आपके द्वारा बैंक को दी गई किसी भी देनदारी के तहत देय किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार हो। आपको सलाह दी जाती है कि निर्धारित प्रारूपों के अनुसार उपयुक्त आवेदन जल्द से जल्द जमा करें ताकि हम बिना किसी बकाया भुगतान का भुगतान कर सकें। कृपया ध्यान दें कि इस तिथि से एक सप्ताह के भीतर उक्त आवेदन जमा करने में आपकी विफलता के परिणामस्वरूप आपके अंतिम बकाया के भुगतान में देरी हो सकती है और देरी के लिए बैंक किसी भी ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कृपया इस पत्र की प्राप्ति को स्वीकार करें।

आपका विश्वासी

ह०/-

मुख्य प्रबंधक

8. अपीलार्थी के अनुसार, उन्हें ऐसा कोई पत्र नहीं दिया गया था जैसा कि वर्ष 2011 में जारी किया गया था और यह वर्ष 2014 में पहली बार है जब उन्हें उपरोक्त उद्धृत पत्र प्राप्त हुआ था। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि वर्ष 2011 में कोई पत्र भेजा गया होता, तो उसी का संदर्भ होता, लेकिन पत्र का दिनांक 17.11.2014 कहीं भी 2011 के संचार का उल्लेख नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि 2011 का पत्र उन निर्देशों के अनुरूप नहीं था जो स्वयं बैंक द्वारा जारी किए गए संहिताबद्ध परिपत्र हैं और इसलिए, बैंक द्वारा अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

9. अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दिनांकित 17.11.2014 पत्र के बाद उसी प्रभाव का एक और दिनांकित 08.12.2014 पत्र आया था जो यहाँ नीचे निकाला गया है:-

भारतीय स्टेट बैंक

मीठापुर शाखा पटना-800001

(संहिता सं.-1511) दूरभाष-0612-2210197

अप०/वि०/286

तारीख:08/12/2014

श्री जगन्नाथ प्रसाद,
गोला रोड पेट्रोल पंप के पीछे की ओर
आईसीआईसीआई लोमैबर्ड कार्यालय भवन
कैनाल के पश्चिम, न्यू बेली रोड,
पटना-801503

प्रिय महोदय,

एन. पी. ए. ए/सी.

ए/सी नं। 10951748530 31/10/2014-Rs.290828-80 पी पर बकाया है।

ए/सी नं। 10951980345 31/10/2014-आर 53973.45/-45 पी पर बकाया है।

सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार आपको बैंक की सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त/हटा दिया गया है। आपको ऊपर के रूप में बैंक की सेवा में रहना बंद करने पर, आप बैंक पेंशन/ग्रेच्युटी/भविष्य निधि/और अप्रयुक्त अवकाश के लिए वेतन के भुनाने के हकदार हैं, बशर्ते कि बैंक को आपके द्वारा बैंक को की गई किसी भी देनदारी के तहत देय किसी भी देय राशि की वसूली करने का अधिकार हो। आपको सलाह दी जाती है कि निर्धारित प्रारूपों के अनुसार उपयुक्त आवेदन जल्द से जल्द जमा करें ताकि हम बिना किसी भी देरी का भुगतान के बकाया का भुगतान कर सकें। कृपया ध्यान दें कि इस तिथि से एक सप्ताह के भीतर उक्त आवेदन जमा करने में आपकी विफलता के परिणामस्वरूप आपके

अंतिम बकाया के भुगतान में देरी हो सकती है और देरी के लिए बैंक किसी भी ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमने यह पत्र 17/11/2014 पर भी भेजा है लेकिन आप जवाब देने में विफल रहे हैं।

कृपया इस मामले को तत्काल समझें और इस पत्र की प्राप्ति को स्वीकार करें।

आपका विश्वासी,

ह०/-

मुख्य प्रबंधक

10. इसे फिर से 12.12.2014 दिनांकित एक अन्य पत्र के प्रेषण द्वारा

दोहराया गया था जो यहाँ नीचे निकाला गया है:-

भारतीय स्टेट बैंक

मीठापुर शाखा पटना-800001

(संहिता सं.-1511) दूरभाष-0612-2210197

=====

सी. आर. एस./मिस/286

तारीख:12/12/2014

श्री जगन्नाथ प्रसाद,

गोला रोड पेट्रोल पंप के पीछे की ओर

आईसीआईसीआई लोमैबर्ड कार्यालय भवन

कनाल के पश्चिम, न्यू बेली रोड

पी. ओ. दानापुर कैंट

पटना-801503

प्रिय महोदय,

सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार आपको बैंक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

आपके बैंक सेवाएँ ऊपर के अनुसार बंद हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि

खाते में अपने योगदान की वापसी के हकदार हैं। आपको सलाह दी जाती है कि निर्धारित

प्रारूपों के अनुसार उपयुक्त आवेदन जल्द से जल्द जमा करें ताकि हम बिना किसी देरी के

आपके दावों का निपटान कर सकें। कृपया ध्यान दें कि अब तक की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उक्त आवेदन जमा करने में आपकी विफलता के परिणामस्वरूप आपके दावों के निपटान में देरी हो सकती है और देरी के लिए बैंक किसी भी ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

यह पी. एफ. नियमों के संदर्भ में आपके द्वारा बैंक को दी गई देनदारी, यदि कोई हो, के तहत देय किसी भी राशि की वसूली करने के बैंक के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति को स्वीकार करें।

आपका विश्वासी

ह०/-

मुख्य प्रबंधक

11. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त तीनों पत्रों में जिस सावधानी पर प्रकाश डाला गया है, उसे 2011 के संचार में जगह नहीं मिली है।

12. दंडित कर्मचारी के अंतिम लाभों के निपटारे के संबंध में प्रासंगिक प्रावधान संहिता में प्रदान किए गए हैं, जिनकी प्रयोज्यता विवादित नहीं है। उसी को यहाँ नीचे निकाला गया है:-

“ख) दंडित कर्मचारी

बर्खास्तगी/अनिवार्य सेवानिवृत्ति/सेवा से हटाने के माध्यम से सेवा की समाप्ति पर, अंतिम बकाया का जल्द से जल्द निपटान करना होगा। चूंकि बैंक ने मानक आवेदन पत्र पेश किए हैं, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि कर्मचारी इस तरह के आवेदन तुरंत जमा करेगा ताकि अंतिम बकाया का जल्द से जल्द निपटान किया जा सके। चूंकि कर्मचारी से अगला आवेदन नहीं आ रहा होगा, जो निर्णय के खिलाफ अपील को पसंद करते हों, एक रजिस्ट्री पत्र कर्मचारी के अंतिम ज्ञात

पते पर भेजा जाना चाहिए को उसे अनुबंध 32 या अनुबंध 33 में दी गई पंक्तियों पर क्योंकि मामला कॉर्पोरेट सेंटर सर्कुलर नं. सीडीओ/ए. डी. एम./एस. पी. एल./1275 दिनांक 2 जून 1997 और सी. डी. ओ./पी. एम./14/एस. पी. एल./4975 दिनांक 21 नवंबर 1997 के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

ऐसे सभी मामलों का शीघ्रता से निपटारा किया जाना चाहिए और इस संबंध में जिन विभिन्न कदमों का पालन किया जाना चाहिए, वे इस प्रकार हैं:

i) कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने पर, संबंधित शाखा/कार्यालय जहां कर्मचारी को पिछली बार सेवा की समाप्ति तैनात किया गया था। कर्मचारी से आवेदन के बिना भी तुरंत प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और कर्मचारियों को सभी योग्य बकाया राशि की मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अनुशासनिक प्राधिकरण के बिना क्या वह कर्मचारी के निर्णय के खिलाफ अपील, समीक्षा, कानूनी उपचार पर जाता है। इन मामलों की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए पी. पी. जी. विभाग को भी सूचित किया जाना चाहिए।

(ii) उसके देय विभिन्न अंतिम लाभों की मंजूरी की प्राप्ति पर, संबंधित कर्मचारी को बैंक के साथ रिकॉर्ड पर अंतिम ज्ञात पते पर एक पंजीकृत ए. डी. पत्र द्वारा सलाह दी जा सकती है, जिसमें उसे बकाया राशि की मंजूरी के बारे में सूचित किया जा सकता है और उससे अनुरोध किया जा सकता है कि वह अपेक्षित राशि को अंतिम देय राशि से संबंधित चेक की डेलिवरी के लिए आगे आयें यदि कर्मचारी है- चेक की डिलीवरी

लेने के लिए आगे नहीं आता है, ऐसे तथ्यों को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।

इसके बाद, बैंक आगे किसी भी बकाया ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है। अंतिम बकाया राशि को भुनाने में होने वाली देरी; क्योंकि इस तरह की देरी बैंक के कारण नहीं हो सकती है। यह बैंक को यह दर्ज करने में सक्षम बनाएगा कि कर्मचारी ने अपने कार्यों के कारण अंतिम देय राशि के निपटान में देरी की। पंजीकृत एडी पत्रों के माध्यम से आवधिक अनुस्मारक पूर्व कर्मचारी को भेजे जा सकते हैं और फिर भी यदि इस तरह के संचार का कोई जवाब नहीं मिलता है, तो इन्हें सामान्य तरीके से उचित रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। हालांकि, असामान्य देरी के मामलों को पी. पी. जी. विभाग को भेजा जा सकता है जो बदले में कानून विभाग से परामर्श करने के बाद कार्यालय/शाखा का मार्गदर्शन करेगा।

(iii) यदि कर्मचारी को समीक्षा/अपीलीय प्राधिकरण या न्यायालय के आदेश के तहत बैंक की सेवा में बहाल किया जाता है, तो उसे कोष में फिर से भर्ती किया जा सकता है, या मामले को उचित प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है जो बहाली का आदेश देता है।

iv) यदि अदालत से बैंक को अंतिम बकाया के भुगतान से रोकने का आदेश आता है, तो हम अदालत के आदेश का पालन कॉर्पोरेट केन्द्र

परिपत्र सं० सी डी ओ/ पी पी जी /के पी ई/ 7971, दिनांकित 31 मार्च 1998 कर सकते हैं। "

13. अतिदेय ब्याज के संबंध में, उसी संहिता के तहत प्रावधानों को नीचे निकाला गया है:-

“बकाया ब्याज राशि

सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पेंशन और ग्रेच्युटी अब कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर वितरित किया जाने वाला कोई इनाम नहीं है, लेकिन इस न्यायालय के फैसले के तहत, उनके हाथों में मूल्यवान अधिकार और संपत्ति बन गई है और निपटान और वितरण में किसी भी दोषपूर्ण देरी को वास्तविक भुगतान तक वर्तमान बाजार दर पर ब्याज के भुगतान के दंड के साथ देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने न केवल पेंशन पर अतिदेय ब्याज के भुगतान की अनुमति दी है, बल्कि यह देखा गया कि गलती करने वाले अधिकारियों को किसी भी दोषपूर्ण चूक के लिए कार्य के जवाबदेह ठहराना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप पेंशन के भुगतान में देरी होती है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी के प्रति जवाबदेही की भावना पैदा हो। हालांकि, जहां प्रशासनिक कारणों से देरी होती है, वहां अतिदेय ब्याज के अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए और प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर भी इसकी सिफारिश की जानी चाहिए। सर्कल मामले के पूर्ण विवरण के साथ ब्याज के भुगतान के लिए अपनी सिफारिशें और कर्मचारियों की चूक (यदि कोई हो) पर अपनी विशिष्ट टिप्पणियों के साथ उप महाप्रबंधक को प्रस्तुत कर सकता है। महाप्रबंधक, निगमित केंद्र में पी. पी. जी. विभाग जो प्रबंध निदेशक और समूह

कार्यकारी (एन. बी.) से मंजूरी प्राप्त करेगा। विलम्ब की अवधि देय तिथि या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आदेश की तिथि से लेकर पेंशनभोगी को पेंशन के वास्तविक भुगतान की पूर्ववर्ती तिथि तक होगी। **ब्याज का दर वही होगा जो संबंधित अवधि के लिए कॉपोरेट सेंटर सर्कुलर सं० पी.ए./सी आई आर/83 दिनांकित 16 मई 1986 के लिए भविष्य निधि पर लागू होता है। "**

14. परिपत्र में निहित उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन, जो 'अंतिम लाभों के निपटान पर संहिताबद्ध परिपत्र निर्देश' के रूप में एक संकलन में हैं, इंगित करता है कि भले ही कोई कर्मचारी अपील, समीक्षा में गया हो या सजा के आदेश के खिलाफ किसी कानूनी उपाय का लाभ उठाया हो, लेकिन यह किसी भी तरह से बकाया राशि के निपटान में बाधा नहीं डालेगा, जिसकी व्यवस्था बैंक द्वारा कर्मचारी को सभी देय राशि के लिए मंजूर बनाया होगा। ऊपर निकाले गए प्रावधान स्पष्ट रूप से उसी का संकेत देते हैं। इसके बाद ही बैंक अतिदेय ब्याज के दायित्व से मुक्त होगा।

15. श्री सिंह का तर्क है कि विद्वत एकल न्यायाधीश ने देरी को स्वीकार करते हुए यह निष्कर्ष निकालकर दायित्व को विभाजित कर दिया है कि अपीलार्थी की ओर से अंशदायी लापरवाही की गई थी। यह उनके प्रस्तुतिकरण में एक गलत निष्कर्ष है, क्योंकि ऊपर उद्धृत निर्देशों के प्रावधानों के तहत, यह बैंक का दायित्व है कि वह ऐसे सभी बकाया के भुगतान की व्यवस्था करे, जिसके लिए एक दंडित कर्मचारी हकदार है, भले ही कर्मचारी ने कोई आवेदन दायर नहीं किया हो या भले ही वह उच्च अधिकारियों के समक्ष सजा के आदेश को चुनौती दे रहा हो। यह विद्वान वकील का निवेदन है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के इस पहलू की अनदेखी की है और गलती से अपीलार्थी की ओर से अंशदायी लापरवाही का अनुमान लगाया है।

16. विद्वान वकील द्वारा लिया गया दूसरा आधार यह है कि वही निर्देश ब्याज की दर के लिए भी प्रदान करता है जो जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, वही होनी चाहिए जो संबंधित अवधि के लिए भविष्य निधि में जमा पर लागू होती है। इसलिए, ब्याज की दर को बैंक के अपने परिपत्रों के विपरीत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता था।

17. श्री सिंह ने तब आग्रह किया कि तथ्यों पर भी, अपीलार्थी को 9 मार्च, 2011 की सूचना नहीं मिली थी, जो अन्यथा भी ऊपर उद्धृत परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। एक बार जब परिपत्र में बैंक को स्वयं अपने दायित्वों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है, तो अतिदेय ब्याज तब तक देय हो जाता है जब तक कि बैंक अन्यथा सूचित नहीं करता है जो अपीलार्थी के अनुसार, पहली बार 8 दिसंबर, 2014 को किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी राशि की दर पर ब्याज जो संबंधित वर्षों में भविष्य निधि जमा पर देय है, दंड आदेश की तारीख से 27 दिसंबर, 2005 से 8 दिसंबर, 2014 तक या वास्तविक भुगतान की तारीख तक, जैसा भी मामला हो, अतिदेय राशि पर अपीलार्थी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, इस पूरी अवधि के लिए ब्याज देय था जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलती से कम कर दिया गया है और केवल पांच साल की अवधि के लिए देय होने की मात्रा निर्धारित की गई है। अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, यह गणना गलत है और किसी तर्क पर आधारित नहीं है। अंशदायी लापरवाही का अनुमान समान रूप से दोषपूर्ण होने के कारण, देय ब्याज की मात्रा निर्धारित करते समय इसका परिणाम भी त्रुटिपूर्ण हो गया है। इस प्रकार, वह अवधि जिसके लिए ब्याज एवं ब्याज की दर, दोनों ब्याज की गणना विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलत तरीके से की गई है जो ऊपर उल्लिखित पूरी अवधि के लिए और ऊपर उद्धृत परिपत्रों के अनुसार दरों पर होनी चाहिए थी।

18. श्री एस. डी. संजय, बैंक के विद्वान वरिष्ठ वकील, ने बैंक की ओर से विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे के माध्यम से अदालत को यह तर्क देने के लिए व्यापक रूप लिया है कि उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, जो प्रकृति में वैधानिक नहीं हैं, बैंक का एकमात्र दायित्व एक पंजीकृत पत्र भेजना और कर्मचारी को औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सूचित करना है।

19. अपीलार्थी को वर्ष 2011 में ही ऐसा करने के लिए बुलाए जाने के बावजूद, उसने कोई जवाब नहीं दिया और औपचारिकताओं के पूरा होने के अभाव में, न तो कोई अनुमान लगाया जा सका और न ही कोई भुगतान किया जा सका। श्री संजय प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी को कई स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था और इसलिए पूरी जानकारी हर उस शाखा से एकत्र की जानी थी जहां अपीलार्थी को तैनात किया गया था। अपीलार्थी का स्वयं यह दायित्व था कि वह अपने द्वारा लिए गए ऋण के दायित्व के विवरण के अलावा सभी दावों का खुलासा करे। मामले के इस दृष्टिकोण में, यदि बैंक अपीलार्थी से कोई राशि प्राप्त करने का हकदार था, तो यह अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन में परिलक्षित होता है जिसे उसने जानबूझकर नहीं किया, जबकि उसे पत्र भेजा गया था। श्री संजय, इसलिए, प्रस्तुत करते हैं कि बैंक की ओर से इस तरह के किसी भी जानबूझकर चूक के अभाव में, बैंक को किसी भी ब्याज के साथ भारित करने का कोई अवसर नहीं है।

20. हालाँकि, वह प्रस्तुत करता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने पहले ही विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वांछित राशि का भुगतान कर दिया है और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा कोई विवाद हल नहीं किया जाना है। श्री संजय प्रस्तुत करते हैं कि आवश्यकतानुसार औपचारिकताएं प्रस्तुत करके बैंक के साथ सहयोग नहीं करने में अपीलार्थी का आचरण, उसे ब्याज वसूलने के इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

21. श्री एस. डी. संजय द्वारा इसी तर्क का दूसरा अंग यह है कि शीर्ष न्यायालय तक मुकदमेबाजी के पहले दौर में, अपीलार्थी ने ब्याज के भुगतान के संबंध में कोई बहाना में ऐसा मुद्दा भी नहीं बताया या न ही उठाया। खंड पीठ ने बैंक की अपील को स्वीकार करते हुए यह नोट किया, जहां अपीलार्थी को एक अभ्यावेदन पेश करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें बैंक को इस पहलू पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था। श्री संजय का तर्क है कि चूंकि अपीलार्थी ने अपने सेवानिवृत्ति के बाद के बकाये के भुगतान के लिए कोई अभ्यावेदन देने का विकल्प नहीं चुना, जो खंड पीठ द्वारा वांछित है। तो कोई देरी प्रतिवादी-बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि सभी अंकों पर, अपीलार्थी किसी भी अतिरिक्त ब्याज राशि का हकदार नहीं है जैसा कि उसने दावा किया है।

22. हमने उठाई गई दलीलों पर विचार किया है। यह निर्विवाद है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के अनुपालन में, बैंक ने इसे स्वीकार कर लिया है और इसके तहत दिए गए निर्देश के अनुसार भुगतान किया है। इसलिए, बैंक ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसे जिम्मेदार ठहराया एवं पहले से तय किए गए दायित्व को उस हद तक चुनौती नहीं दी है, इसलिए जिस हद तक भुगतान करने के निर्णय में संकेत दिया है। इस पृष्ठभूमि में, जब बैंक ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना है और इसके विपरीत इसका पालन किया है, तो यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि बैंक अपने स्वयं के परिपत्रों का पालन करने का दावा करता है। अन्यथा यह तर्क कि संकलन में निहित बैंक परिपत्रों में वैधानिक बल नहीं है, अस्वीकार्य है क्योंकि बैंक कर्मचारी सेवा शर्तों के तहत संरक्षित होने के अलावा, बैंक मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है या अपने कर्मचारियों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता है। अपीलार्थी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत एक संवैधानिक अधिकार की गारंटी है और यदि इसका उल्लंघन किया जाता है, तो वर्तमान प्रकृति की एक याचिका उसे उपलब्ध लाभों का

पता करने को लागू करने के लिए बनाए रखने योग्य होगी। बैंक की ओर से यह तर्क कि परिपत्र अनिवार्य नहीं हैं और इस तरह के दावों को अस्वीकार करना बैंक के विवेक के भीतर है, भी अस्वीकृति के योग्य है क्योंकि निर्देशिका के प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। बैंक अपने स्वयं के परिपत्रों और दिशानिर्देशों से बाध्य है जिन्हें बैंक स्वयं लागू होने का दावा करता है।

23. बैंक ने बचाव किया है कि उसने 9 मार्च, 2011 को एक पत्र भेजा था। यह पत्र सजा आदेश के लगभग छह साल बाद भेजा गया था जो दिसंबर, 2005 में पारित किया गया था। पत्र में ऊपर निकाले गए प्रासंगिक परिपत्रों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बारे में ऐसा कोई पाठ भी नहीं है। नोटिस में उक्त पत्र का कोई पाठ नहीं है जो बाद में 08.12.2014 पर अपीलार्थी को दिया गया था। अपीलार्थी ने इस तरह का कोई पत्र मिलने से भी इनकार किया है। इस पृष्ठभूमि में, हम अपीलार्थी की ओर से कोई गलती खोजने में असमर्थ हैं ताकि 8 दिसंबर, 2014 को एक पत्र प्राप्त होने तक उसकी ओर से अंशदायी लापरवाही का अर्थ लगाया जा सके। अपीलार्थी को देय भुगतानों से संबंधित विवरण एकत्र करना बैंक का दायित्व था। बैंक के विद्वान वकील का तर्क कि अपीलार्थी एक बर्खास्त कर्मचारी था और उसकी सेवाओं को अनुशासनात्मक प्रक्रिया के कारण प्रक्रिया विषय कार्यवाही मामले को आगे नहीं ले जाती है, क्योंकि वही परिपत्र, जिसके लाभ का दावा अपीलार्थी द्वारा किया जा रहा है, बैंक पर जानकारी एकत्र करने और उस राशि के चेक तैयार करने का दायित्व प्रदान करता है जो किसी कर्मचारी को दंड पर देय है। पूरा निर्देश केवल दंडित कर्मचारियों के मामलों से संबंधित है। ब्याज की दर भुगतान के सभी वर्गों पर लागू होती है, जिसे बैंक उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपालन में अपनाने का दावा करता है जो ऊपर उद्धृत परिपत्र में पढ़े गए प्रारंभिक शब्दों से स्पष्ट है।

24. 8 दिसंबर, 2014 को नोटिस जारी होने के बाद जो भुगतान किए गए हैं, वे केवल उच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में हैं। अन्यथा भी, अपीलार्थी को किसी भी

लापरवाही के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह स्वीकार करते हुए उस मामले को लड़ रहा था जिसे वह सर्वोच्च न्यायालय से हार गया था। यही कारण है कि परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि दंडित कर्मचारियों के मामले में बैंक द्वारा गणना की जानी है। इसलिए, वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक ने 8 दिसंबर, 2014 के पत्र के तहत पहली बार अपने दायित्व का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया है, इस पृष्ठभूमि में कि 9 मार्च, 2011 के पत्र की प्राप्ति से इनकार कर दिया गया है एवं बाद के पत्रों में जारी किया गया के ग्रम में पत्र का कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए विवाद, अपीलार्थी की ओर से पत्र दिनांकित 09.03.2011 स्वीकार्य करने योग्य है। इसलिए, दिनांकित 09.03.2011 पत्र के संबंध में अपीलार्थी की ओर से तर्क स्वीकार करने योग्य है।

25. इसके अलावा, यह अपीलार्थी का पैसा था जिसे बैंक द्वारा ही रोककर रखा गया है। बैंक ने इसे जारी करने का विकल्प नहीं चुना और इसे रोक रहा था। अतः यह माना जाएगा कि उक्त धन अपीलार्थी की ओर से न्यास में रखा गया था। इसलिए, एक वाणिज्यिक उद्यम होने के कारण, बैंक के अपने परिसंचरण में वही धन था जो अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए था।

26. बैंक की ओर से यह तर्क कि अपीलार्थी के खिलाफ कुछ बकाया था और उसे सजा के माध्यम से सेवा से हटा दिया गया था, भी भुगतान करने में बाधा नहीं प्रतीत होता है। यदि बैंक के पास अपीलार्थी के खिलाफ कोई बकाया था, तो वह उसी समय समायोजित कर सकता था जिस पर अपीलार्थी ने कभी आपत्ति नहीं की थी। यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी ने ऋण राशि से रोक को समायोजित करने से इनकार कर दिया या बैंक को किसी भी तरह से इसे समायोजित करने से रोका। इसलिए, यह बैंक की ओर से चूक थी जो न केवल 9 मार्च, 2011 तक बल्कि उसके बाद भी 08.12.2014 तक स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। अपीलार्थी की ओर से, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ग्रहण किया गया है, क्योंकि अपीलार्थी एक दंडित कर्मचारी की स्थिति का

था, जिसके लाभ के लिए ऊपर उद्धृत परिपत्र मौजूद हैं। बैंक को अपनी कवायद पूरी करनी चाहिए थी और ऐसा करने में विफल रहने के बाद, वह अपीलार्थी को ब्याज से इनकार नहीं कर सकता है जो प्रत्यर्थी-बैंक के अपने परिपत्र के अनुसार दरों पर स्वीकार्य है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश, 9 मार्च, 2011 के संचार के बल पर अवधि को विभाजित करने में त्रुटि में पड़ गए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी गलती से ब्याज की दर मान ली जो अन्यथा पहले से ही बैंक के अपने परिपत्र के तहत निर्धारित है जो संबंधित वर्षों के लिए भविष्य निधि पर देय दर के बराबर है।

27. बैंक का यह तर्क कि मुकदमे के पहले दौर को देखते हुए अपीलार्थी को ब्याज का दावा करने से रोक दिया गया है, खारिज कर दिया जाना चाहिए कि सबसे पहले डिवीजन बेंच की दिनांक 1 की टिप्पणियों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और न ही ऐसा कोई मुद्दा निर्धारित किया गया था, बल्कि इसे अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व के लिए खुला छोड़ दिया गया था कि बैंक द्वारा किस पहलू पर विचार किया जाना था। श्री संजय, बैंक के विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी ने कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया और इसके बजाय मुकदमा जारी रखा। जिनके लाभ हेतु अपर उद्धृत परिपत्र के अनुसार मौजूद हैं। इस प्रकार हमारी राय में उसके बकाया दंड को अपीलार्थी द्वारा उसको देय बकाया दंड को रोका नहीं जा सकता है। मुकदमा उंडनीय आदेश के खिलाफ था। अपीलार्थी का दंड के खिलाफ दावा एवं खंड पीठ के उलगाव को गवाह के दंड के उत्क्रमण द्वारा किया गया था, एवं, इसलिए उसने शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपील करने को चुना, अतः यह जीवित था एवं अपने वाले सभी समय को मिटाया नहीं था। दूसरा, यह बैंक, एक बचाव जो एक बचाव लेने से रोकता है, क्योंकि विद्वत एकल न्यायाधीश इसके निर्णय को स्वीकार्य नहीं है कि अपीलार्थी के दावा को आंशिक रूप से अनुमति देना है। अतः दिनांकित 25.08.2018 का विवादित निर्णय तदनुसार संशोधित किया जाता है। बैंक द्वारा 28.12.2015 के पारित आदेश को संशोधित किया जाता है।

28. उपरोक्त सभी कारणों से, अपील को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी जाती है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भुगतान करने से इनकार कर दिया है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी अपने दंड आदेश की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक, ऊपर उल्लिखित ब्याज की दर के साथ अपीलार्थी के विरुद्ध किसी भी देय राशि के समायोजन के अधीन अपने भुगतान का हकदार है। इसलिए, दिनांकित 25.08.2018 के विवादित निर्णय को तदनुसार संशोधित किया जाता है। बैंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2015 रद्द किया जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के अलोक में पूर्व में किये गए भुगतान के समायोजन के पश्चात अंतिम गणना उपरोक्त अनुसार कर अपीलार्थी को इस आदेश की अभिप्रमाणित प्रति सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

29. तदनुसार, अपील को अनुमति दी जाती है।

(अमरेश्वर प्रताप साही, मुख्य न्यायाधीश)

(अंजना मिश्रा, न्यायाधीश)

सुनील/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।